रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2014/आश्विन 17, 1936
No. 289] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2014/ASAVINA 17, 1936

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2014

सं. 20-21/2014–के.पं. (उत्तर प्रदे□ा) (अनुपूरक) जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप–धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख–रखाव कर रही है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23(3) के अन्तर्गत रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाएगा और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किसी प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा ।

अतः अब भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप–धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में उत्तर प्रदेश राज्य रजिस्टर में प्रारम्भ से 1987 तक क्रम संख्या 191883 आयुर्वेद एवं 27305 यूनानी से आगे शामिल करते हुए एवं अन्तिम विद्यमान क्रम संख्या 191883 आयुर्वेद एवं 27305 यूनानी सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ संशोधन करता है ।

प्रेमराज शर्मा, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन III/4/असा./124/14]

टिप्पणी:– भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन प्रारम्भ से 1987 तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर उत्तर प्रदेश (अनुपूरक) केन्द्रीय पंजिका का संकलन करने में जबकि प्रत्येक सावधानी बरती गई है और उसमें यदि कोई छूट/सुधार, अपेक्षित हो, तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61–65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 को 30 दिन के अन्दर सूचित किया जाए ।

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

उत्तर प्रदेश (अनुपूरक प्रारम्भ से 1987)

भाग – I आयुर्वेद

के.पं. संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या/ पंजीयन तिथि	पता
191883	भृगुपति पाण्डेय राजकिशोर पाण्डेय	26531 03.02.1977		
		भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका		
		उत्तर प्रदेश (अनुपूरक प्रारम्भ से 1987)		
		भाग – II यूनानी		
के.पं. संख्या	नाम व पिता का नाम	अर्हता/प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या/ पंजीयन तिथि	पता
27305	मोहम्मद आसिफ खान अब्दुल अलीम खान	बी.यू.एम.एस. कानपुर वि.वि., कानपुर 1980	5524 05.03.1982	ग्राम अजूहा, तहसील सिरायू, जिला इलाहाबाद

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICAITON

New Delhi, the 22nd September, 2014

No. 20-21/2014–CR (Uttar Pradesh) (Supplementary).—Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) is maintaining a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Uttar Pradesh and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Under Section 23(3) of IMCC Act, 1970 the Register shall be deemed to be a public documents within the meaning of Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and may be proved by a copy published in the Gazette of India.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby amends the Central Register of Indian Medicine pertaining to Uttar Pradesh state by including the names of persons subsequently enrolled in the State Register from inception to 1987 by inserting serial No. 191883 of Ayurveda and 27305 of Unani onwards after the existing last Serial No. 191883 of Ayurved and 27305 of Unani which is to be published in the Gazette of India for general information.

P. R. SHARMA, Registrar

[ADVT. III/4/Exty./124/14]

Note : While every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine Uttar Pradesh (Supplementary) Central Register from inception to 1987 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 within 30 days for rectification of the same in the next publication of the Register.

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Uttar Pradesh (Supplementary from inception to 1987)

PART - I - Ayurved

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
191883	Bhrigupati Pande Raj Kishsore Pande	BAMS S.S. Univ., Varanasi 1976	26531 03/02/77	Vill. Bakshipar,PO Sarsawan Allahabad

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Uttar Pradesh (Supplementary from inception to 1987)

PART - II - Unani

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
27305	Mohd. Asif Khan Abdul Alim Khan	B.U.M.S Kanpur Univ., Kanpur 1980	5524 05/03/82	Vill. Azooha, Teh. Sirayu, Distt. Allahabad

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.